

बिहार सरकार
वाणिज्य—कर विभाग
—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या—6 / वि०पत्रा०—24—79 / 2023

पटना, दिनांक:—

श्रीमती सीमा भारती, राज्य—कर अपर आयुक्त, वाणिज्य—कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 05.05.2026 से 19.05.2026 तक 15 दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

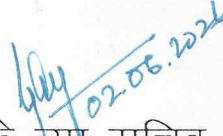
उक्त अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्रीमती भारती के अवकाश लेखा में (300—15=285) दो सौ पचासी दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह० / —
(विजय कुमार)
सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य—कर विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—6 / वि०पत्रा०—24—79 / 2023 2010

पटना, दिनांक:— 03/06/26

प्रतिलिपि:—प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / राज्य—कर संयुक्त आयुक्त—सह—नोडल पदाधिकारी, एच०आर०एम०एस०, वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना / राज्य—कर उपायुक्त—सह—एच०आर मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना / लेखा शाखा, वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना / आई० टी० मैनेजर, वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती सीमा भारती, राज्य—कर अपर आयुक्त, वाणिज्य—कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य—कर विभाग
बिहार, पटना।